

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :-प. 2(1)साप्र/2/2023 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 31 MAR 2023

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	12/2020	श्री बजरंग लाल शर्मा सहायक शासन सचिव पर्यटन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2034	II/2, गांधीनगर
2.	19/2020	डॉ. गौरी शंकर भागव उप विधि परामर्शी निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	31.01.2025	II/14, गांधीनगर
3.	28/2020	डॉ. गगन व्यास ई.एस.आई.डिस्पेंसरी 09 वी.के.आई.ऐ, जयपुर	31.05.41	II/15, गांधीनगर
4.	1/2021	श्री भूपेन्द्र सिंह देथा अधिकाधी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी) पी.एच.ई.डी, जयपुर	30.06.2033	II/19, गांधीनगर
5.	5/2021	श्री मदन लाल बिजारानिया सहायक शासन सचिव एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2033	II/24, गांधीनगर
6.	8/2021	श्री सुरेन्द्र कुमार मीना सहायक निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर	31.12.2043	II/32, गांधीनगर
7.	17/2021	डॉ. सुनील कुमार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2043	II/38, गांधीनगर

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्यदिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के अराफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकाधी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैली किशानानी)  
Signature valid

Digitally signed by Shelly Kishnani  
Designation: Special Secretary To  
Government  
Date: 2023.03.31 12:32:24 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3528703



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
3. संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
5. निदेशक (राजपत्रित), स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, खाई मानसिंह त्रिभुवनसालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
7. निदेशक, (ईएसआइ) विहितता एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अजमेर रोड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
9. निदेशक, सम्पदा विभाग, गिनी सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साइट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
12. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
14. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गोधीनगर/हीराबाग जयपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गोधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्मा करावे साथ ही आवंटन के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, गिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
17. संबंधित अधिशासी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Sherry Kishnani  
Designation: Special Secretary To  
Government  
Date: 2023.03.31 12:32:24 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3528703

